



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2910]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2016/अग्रहायण 18, 1938

No. 2910]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2016/AGRAHAYANA 18, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2016

का.आ. 3999(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा यह निदेश दिया था कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही नवीन परियोजनाओं या क्रियाकलापों के अपेक्षित संनिर्माण या उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तारण या आधुनिकीकरण के कार्य को, जिसमें प्रक्रिया या तकनीक और/या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन सहित क्षमता में वृद्धि किया जाना सम्मिलित है, भारत के किसी भाग में केवल, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन सम्यक् रूप से गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से, उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति लेने के पश्चात् ही आरंभ किया जाएगा ;

केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी कारबार करने की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है और भवन तथा संनिर्माण सेक्टर, जो आवास की व्यवस्था करने के लिए महत्वपूर्ण है, के लिए अनुज्ञाओं को सरल बना रही है तथा इस प्रयोजन के लिए शहरी क्षेत्र में कमजोर वर्ग सस्ता आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की स्कीम में महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है ;

और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) में यह उपबंधित है कि जब कभी केन्द्रीय सरकार यह विचार करती है कि किसी उद्योग पर प्रतिषेध या निर्बन्धन अधिरोपित किए जाने चाहिए, तो वह अपने ऐसा करने के आशय की सूचना देगी ;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में संशोधन करने के लिए एक प्रारूप अधिसूचना का.आ.1595(अ) तारीख 29 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में संशोधन करने के लिए प्रारूप अधिसूचना पर आक्षेप और सुझाव ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से उक्त अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन में आमंत्रित किए जाते हैं ;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट प्रारूप अधिसूचना के संबंध में प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--(I) उक्त अधिसूचना में,--

(1) पैरा 13 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“14. निर्माण उप नियमों में पर्यावरणीय शर्तों का समाकलन :-

- (1) स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्माण अनुमति सहित समाकलित पर्यावरणीय दशा प्रदान की जाएगी और आकार के अनुसार इमारतों का निर्माण परिशिष्ट XIV में दिए गए लक्ष्य और निगरानी योग्य पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार किया जाएगा ।
- (2) राज्य जो अपनी भवन उपविधियों तथा सुसंगत राज्य विधियों में उप पैरा (1) में निर्दिष्ट इन लक्ष्यों तथा निगरानी योग्य पर्यावरणीय शर्तों को अपना रहे हैं और भवन संनिर्माण के लिए दिए गए अनुमोदनों से उन शर्तों को समाविष्ट कर रहे हैं जिससे इसे विधिक रूप से प्रवर्तनीय बनाया जा सके, व्यष्टिक इमारतों के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनापत्ति की अपेक्षा नहीं होगी ।
- (3) राज्य पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपनी उपविधियों और नियमों में ऐसे प्रस्तावित परिवर्तन भेजेंगे जो प्रारूप की समीक्षा करेगा और सहमति देगा ।
- (4) जब राज्य सरकारों, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सहमति दिए गए उपविधियों और नियमों को अधिसूचित कर देती हैं तो केन्द्रीय सरकार यह आदेश जारी करेगी कि उन राज्य या स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्रों में कोई पृथक् पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है ।
- (5) स्थानीय प्राधिकारियों जैसे विकास प्राधिकरण, नगरपालिकाएं स्थानीय निकायों में गठित पर्यावरण प्रकोष्ठ की सिफारिशों पर किन्हीं भवनों के लिए नियत अपेक्षाओं के अनुसार यथा लागू किए गए समापन प्रमाणपत्र के जारी किए जाने से पूर्व इन पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन प्रमाणित करेंगे ।
- (6) राज्य सरकारें जहां उपविधि या नियम विरचित नहीं है, इस अधिसूचना में अधिकथित उपबंधों के अनुसार, व्यष्टिक परियोजनाओं के मूल्यांकन की विद्यमान प्रक्रिया तथा इमारतों और संनिर्माणों के लिए पर्यावरण अनापत्ति की मंजूरी का पालन करते रहेंगे ।”
- (7) भवनों में पर्यावरण के समावेशन के संबंध में प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सक्षम अभिकरण के माध्यम से अर्हित निर्माण पर्यावरणीय संपरीक्षक से इस अधिसूचना की अपेक्षाओं के माध्यम से निर्माण परियोजना का मूल्यांकन और प्रमाणित करेगी तथा अर्हित निर्माण पर्यावरणीय संपरीक्षक का प्रत्यानन के लिए प्रक्रिया और उनकी भूमिका परिशिष्ट XV पर दी गई है ।
- (8) निर्माण उपविधि में पर्यावरण शर्तों के समामेलन के अनुपालन में राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी पर्यावरण प्रकोष्ठ (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रकोष्ठ कहा गया है), गठन करेगी तथा अपने क्षेत्राधिकार में पर्यावरण योजना को सुनिश्चित करेगा ।
- (9) प्रकोष्ठ इमारतों के निर्माण के लिए पर्यावरण शर्तों के समाकलित करने के लिए बनाए गई उपविधि और नियमों के अनुपालन की निगरानी करेगा और प्रकोष्ठ किसी असावधानी, यदि कोई है, के लिए तृतीय पक्षकार संपरीक्षा प्रक्रिया की भी अनुमति देगा ।
- (10) प्रकोष्ठ स्थानीय प्राधिकरणों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा ।
- (11) प्रकोष्ठ का गठन और कृत्य परिशिष्ट xvi में दिया हुआ है ।
- (12) स्थानीय प्राधिकारी निर्माण उपविधि में पर्यावरण के संबंध में समाकलन करते समय परियोजना में उनकी सरकार के अनुसार नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करेगी :-

भवन प्रवर्ग ‘I’ (5000 से < 20,000 वर्ग मीटर)

पर्यावरणीय शर्तों (परिशिष्ट xiv) के अनुपालन के लिए स्व घोषणा प्रारूप और अर्हित भवन पर्यावरण संपरीक्षक द्वारा प्रमाणन प्रारूप 1क के साथ परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थीय प्राधिकारी से निर्माण के लिए अनुमति हेतु आवेदन के अलावा पृथक् खाते में विनिर्दिष्ट फीस सहित आनलाइन प्रस्तुत करेगा । उसके पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी इसमें पर्यावरणीय शर्तों के

समावेशन के लिए निर्माण अनुमति जारी करेगा तथा आवेदन के साथ स्व घोषणा और प्रमाणन के आधार पर परियोजना आरंभ करने के लिए अनुमति देगा। भवन के निर्माण के समापन के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक अर्हित भवन पर्यावरण संपरीक्षक द्वारा की गई संपरीक्षा के आधार पर आनलाइन आधारित प्ररूप 1क को अद्यतन करेगा तथा पुनरीक्षित अनुपालन परिवचन स्थानीय प्राधिकारी को देगा। 20,000 वर्ग मीटर से कम के भवनों के अनुपालन संबंधी कोई मुद्दा विद्यमान यांत्रिकी के दौरान स्थानीय प्राधिकारी और राज्य स्तर पर विचार किया जाएगा।

अन्य भवन प्रवर्ग (>20,000 वर्ग मीटर)

परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण मूल्यांकन के लिए विनिर्दिष्ट फीस सहित प्ररूप 1क में आनलाइन आवेदन तथा निर्माण अनुमति के लिए अतिरिक्त फीस प्रस्तुत करेगा। पर्यावरण मूल्यांकन के लिए फीस पृथक् खाते में जमा की जाएगी। पर्यावरण प्रकोष्ठ आवेदन पर कार्यवाही करेगा और उस स्थानीय प्राधिकारी में निर्माण अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के नेतृत्व वाली बैठक में प्रस्तुत करेगा। समिति परियोजना का मूल्यांकन करेगी और पर्यावरण शर्तों को निर्माण अनुमति में समावेशन के लिए शर्त रखेगा। समिति की सिफारिशों के पश्चात् निर्माण अनुमति और पर्यावरण अनापत्ति स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समेकित आरूप में जारी करेगा।

परियोजना प्रस्तावक अर्हित निर्माण पर्यावरण संपरीक्षक से संनिर्माण के समापन के पश्चात् लागू पर्यावरणीय शर्तें मानकों के लिए परियोजना में सतत् अनुपालन के प्रमाणपत्र और अनुपालन आंकड़ें प्रत्येक पांच वर्ष में पर्यावरण प्रकोष्ठ को निम्नलिखित मानकों पर विशेष केन्द्रित करते हुए प्रस्तुत करेगा :-

- (क) ऊर्जा प्रयोग (सभी ऊर्जा स्रोतों सहित)
- (ख) साइट पर पुनर्प्रयोग ऊर्जा स्रोतों से साइट पर उत्तपन की ऊर्जा
- (ग) साइट जल प्रयोग और अपशिष्ट जल उत्पन्न, उपचारित और पुनर्प्रयुक्त
- (घ) साइट पर पृथकीकृत और उपचारित अपशिष्ट
- (ङ) पौधारोपण और रखरखाव।

परियोजना के पूर्ण होने पर, प्रकोष्ठ पांच वर्षीय संपरीक्षा रिपोर्ट सहित परियोजना अनुपालन प्रास्थिति की अचावक जांच करेगा। राज्य सरकारें पर्यावरणीय शर्तों और मानकों के अनुपालन के लिए शास्तियां लगाने के लिए समुचित विधि अधिनियमित करेगी। प्रकोष्ठ स्थानीय प्राधिकारी शर्तें या मानकों के अनुपालन के लिए सुसंगत राज्य विधि के अधीन यथा लागू वित्तीय शास्तियों की सिफारिश करेगा। प्रकोष्ठ की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय प्राधिकारी सुसंगत राज्य विधि के अधीन शास्तियां अधिरोपित करेगा। असत्य घोषणा या प्रकाशन की दशा में प्रत्यानन निकाय को रिपोर्ट करेगा और स्थानीय निकाय अर्हित भवन पर्यावरण संपरीक्षकों को काली सूची में डाल देगा तथा मालिक और अर्हित निर्माण पर्यावरण संपरीक्षक पर वित्तीय शास्ति लगाएगा।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापन तथा प्रचालन की सहमति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति 1,50,000 वर्ग मीटर के लिए रिहायशी निर्माण हेतु अपेक्षित नहीं होगी,";

(II) अनुसूची में मद 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8.		भवन/योजना संनिर्माण/विकास योजना और नगरीय		
8(क)	भवन निर्माण और संनिर्माण परियोजना		निर्मित क्षेत्र का $\geq 20,000$ वर्ग मीटर और $\leq 1,50,000$ वर्ग मीटर	इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "निर्मित क्षेत्र" पद, सभी तलों को एक साथ मिलाकर निर्मित या आच्छादित क्षेत्र जिसके अंतर्गत उसका बेसमेंट भी है, जो भवन निर्माण तथा संनिर्माण परियोजनाओं में प्रस्तावित है। टिप्पण 1- परियोजनाओं या क्रियाकलापों के अंतर्गत औद्योगिक शेड, विश्वविद्यालयों,

				महाविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए छात्रावास, किंतु ऐसे भवन पोषणीय पर्यावरणीय प्रबंधन, ठोस और तरल तथा परिशिष्ट 14 में दी गई शर्तों को सुनिश्चित करेगी। टिप्पण 2: साधारण शर्तें लागू नहीं होंगी। टिप्पण 3: टिप्पण 1 में प्रदत्त छूट स्थानीय प्राधिकारी के स्तर पर भवन अनुमति सहित पर्यावरणीय मानकों के समाकलन के पश्चात् औद्योगिक शेड के लिए ही उपलब्ध होगी।
8(ख)	नगरी और क्षेत्र विकास योजनाएं	निर्मित क्षेत्र का $\geq 3,00,000$ वर्ग मीटर या आच्छादित क्षेत्र का ≥ 150 हेक्टेयर	निर्मित क्षेत्र का $\geq 1,50,000$ वर्ग मीटर और $< 3,00,000$ वर्ग मीटर या आच्छादित क्षेत्र का ≥ 50 हेक्टेयर और < 150 हेक्टेयर	टिप्पण: साधारण शर्तें लागू नहीं होंगी

[फा. सं. जे-19-2/2013-आईए-III(भाग)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 को प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्पूर्वी संशोधन का.आ. 1737 (अ) तारीख 11 अक्तूबर, 2007, का.आ. 3067 (अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009, का.आ. 695 (अ) तारीख 4 अप्रैल, 2011, का.आ. 2896 (अ) तारीख 10 दिसंबर, 2012, का.आ. 574 (अ) तारीख 13 मार्च, 2011, का.आ. 2896 (अ) तारीख 13 दिसंबर, 2012, का.आ. 674 (अ) तारीख 13 मार्च, 2013, का.आ. 2559 (अ) तारीख 22 अगस्त, 2013, का.आ. 2731 (अ) तारीख 9 सितंबर, 2013, का.आ. 562 (अ) तारीख 26 फरवरी, 2014, का.आ. 637 (अ) तारीख 28 फरवरी, 2014, का.आ. 1599 (अ) तारीख 25 जून, 2014, का.आ. 2600 (अ) तारीख 9 अक्तूबर, 2014, का.आ. 3252 (अ) तारीख 22 दिसंबर, 2014, का.आ. 382 (अ) तारीख 3 फरवरी, 2015 और का.आ. 811 (अ) तारीख 23 मार्च, 2015, का.आ. 996 (अ) तारीख 10 अप्रैल, 2015, का.आ. 1142 (अ) तारीख 17 अप्रैल, 2015, का.आ. 1141 (अ) तारीख 29 अप्रैल, 2015, का.आ. 1834 (अ) तारीख 6 जुलाई, 2015 और का.आ. 2572 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2015, का.आ. 141 (अ) तारीख 15 जनवरी, 2016, का.आ. 190 (अ) तारीख 20 जनवरी, 2016, का.आ. 648 (अ) तारीख 3 मार्च, 2016 और का.आ. 2269 (अ) तारीख 1 जुलाई, 2016 द्वारा किए गए।

परिशिष्ट – XIV

भवनों तथा निर्माण के लिए पर्यावरणीय शर्तें

(श्रेणी-'I': 5,000 से लेकर 20,000 वर्ग मीटर से कम)

माध्यम	क्र.सं.	पर्यावरणीय शर्तें
स्थलाकृति तथा प्राकृतिक ड्रेनेज	1	जल के अबाधित प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक ड्रेन प्रणाली का रखरखाव किया जाना चाहिए। किसी भी निर्माण कार्य को स्थल से होकर गुजरने वाले प्राकृतिक ड्रेनेज में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नम भूमि तथा जल निकायों पर निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ड्रेनेज पद्धति का रखरखाव करने तथा वर्षा जल संचयन के लिए चेक डैम, बायो-स्वेल, लैंडस्केप और अन्य वहनीय शहरी ड्रेनेज प्रणालियों की अनुमति है।
जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भू-जल स्तर में वृद्धि	2	जल-सक्षम उपस्करों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्षा जल संचयन संबंधी स्थानीय उपनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा। यदि स्थानीय उपनियम के उपबंध उपलब्ध न हों, तो शहरी विकास मंत्रालय के मॉडल भवन उपनियम, 2016 के अनुसार भण्डारण तथा रिचार्ज के लिए उचित उपबंध का अनुपालन किया जाएगा।

		वर्षा जल संचयन की एक योजना बनाए जाने की आवश्यकता है जिसमें रिचार्ज बोर (प्रत्येक 5,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र पर न्यूनतम एक रिचार्ज) की सिफारिश की जाती है। संचित वर्षा जल के भण्डारण तथा पुनःप्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में जहां भू-जल स्तर को बढ़ाना व्यवहार्य न हो, वर्षा जल का भण्डारण और पुनःप्रयोग किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना भू-जल नहीं निकाला जाएगा। सभी रिचार्ज को उथले जलभृत तक सीमित रखा जाना चाहिए।
	2 (क)	स्थानीय भवन उपनियमों में यथा अपेक्षित कम से कम 20% खुला स्थान प्रभावनीय होगा। कम से कम 50% ओपनिंग के साथ पेवर, पेवर ब्लॉकों, लैंडस्केप इत्यादि को प्रभावनीय तल समझा जाएगा।
अपशिष्ट प्रबंधन	3	ठोस अपशिष्ट: अपशिष्ट के पृथक्करण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक इकाई में तथा भू-तल पर अलग-अलग नम और शुष्क बिनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। सीवेज: ऐसे क्षेत्रों में जहां नगरीय सीवेज नेटवर्क नहीं है, वहां ऑनसाइट शोधन प्रणालियां संस्थापित की जानी चाहिए। लैंडस्केप से एकीकृत होने वाली प्राकृतिक शोधन प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। जहां तक संभव हो शोधित बहिःस्राव का पुनःप्रयोग किया जाना चाहिए। अतिरिक्त शोधित बहिःस्राव को सीपीसीबी प्रतिमानों के अनुपालन में निस्तारित किया जाएगा। सेप्टिक टैंकों सहित ऑनसाइट सीवेज शोधन से निकले गाद को शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) के सीवरेज तथा सीवेज शोधन प्रणाली मैनुअल, 2013 के अनुसार एकत्रित, भेजना और निस्तारित किया जाएगा। ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 तथा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 का अनुपालन किया जाएगा।
ऊर्जा	4	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यों में ऐसे भवन जिनमें उनके अपने ईसीबीसी अधिसूचित हैं, उनमें राज्य ईसीबीसी का अनुपालन किया जाएगा। आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एमिटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा। डिमांड लोड के 1% समतुल्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार बिजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी। वाणिज्यिक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए अथवा स्थानीय भवन उपनियमों की आवश्यकतानुसार, जो भी अधिक हो, सोलर वाटर हीटिंग की व्यवस्था की जाएगी। आवासीय भवनों के लिए भी यथासंभव अपनी गर्म जल मांग की पूर्ति हेतु सोलर वाटर हीटिंग की सिफारिश की जाती है। भवन डिजायनों में पैसिव सोलर डिजायन की संकल्पना शामिल की जाएगी जिसमें डिजायन के तत्वों जैसे भवन अभिमुखीकरण, लैंडस्केपिंग, दक्ष भवन एन्वेलप, समुचित खिड़कियों की व्यवस्था, दिन में अधिक प्रकाश करने की व्यवस्था में सुधार और थर्मल मास इत्यादि का प्रयोग करके भवनों में ऊर्जा खपत को न्यूनतम किया जाता है। दीवारों, खिड़कियां और छत के यू-वॉल्यू ईसीबीसी विशिष्टियों के अनुसार होंगे।
वायु गुणवत्ता तथा शोर	5	भवन और साथ ही स्थल के लिए धूल, धुआं एवं अन्य वायु प्रदूषण निवारण के उपाय किए जाएंगे। इन उपायों में निर्माणाधीन भवन, स्थल के चारों ओर धूल/धूल रोकने वाली दीवारों का निर्माण (कम से कम 3 मीटर की ऊंचाई तक) के लिए आवरण में शामिल हो सकेंगे। प्लाटिक/तारपोलिन स्थल से कचरा उठाने के साथ-साथ बालू, सीमेंट, मूर्रम में चलती हुई गाड़ियां तथा अन्य निर्माण सामग्रियां धूल प्रदूषण का कारण हो सकती हैं। साइट पर बालू, मूर्रम, बिखरी मिट्टी, सीमेंट भंडार को उचित तरीके से ढक कर रखा जाएगा जिससे कि धूल प्रदूषण को रोका जा सके। पिसाई तथा पत्थर कटाई के लिए वेट जेट का प्रबंध किया जाएगा। धूल को दबाने के लिए

		बिना पटरी बिछा हुआ धरातल तथा बिखरी मिट्टी पर उचित तरीके से पानी का छिड़काव किया जाएगा। निर्माण तथा विध्वंस सारे मलबे को उचित तरीके से निपटान से पहले साइट के पास इकट्ठा किया जाएगा (तथा सड़के के किनारे ढेर या बाहर खुली जगह में इकट्ठा नहीं) सभी विध्वंस तथा निर्माण अपशिष्ट को निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार प्रबंधित होगा। निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले सभी कामगारों तथा निर्माण सामग्री की लोडिंग अनलोडिंग में शामिल, निर्माण सामग्री की ढुलाई तथा निर्माण के कचरे या धूल प्रदूषण के किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्ति को डस्ट मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। आंतरिक वायु गुणवत्ता के लिए भारत के राष्ट्रीय भवन कोड के अनुसार वातायन के प्रावधान तैयार किए जाएंगे।
	5(क)	डीजी सेट का स्थान निर्धारण तथा निकास पाइप की ऊंचाई सीपीसीबी मानदंडों के प्रावधानों के अनुसार होगा।
हरित क्षेत्र	6	प्रति 80 वर्ग मीटर की भूमि के लिए कम से कम एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए विद्यमान पेड़ों की गिनती की जाएगी। देशीय जाति के पौधों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
	6(क)	जहां पेड़ों की कटाई आवश्यक हो, 1:3 के अनुपात में प्रतिपूरक वृक्षारोपण अर्थात् प्रत्येक एक पेड़ की कटाई के लिए 3 पौधों को लगाना तथा उनका रख-रखाव करना होगा।

(श्रेणी '2': 20,000 वर्ग मीटर से लेकर 50,000 से कम)

माध्यम	क्रम.सं.	पर्यावरणीय शर्तें
स्थलाकृति तथा प्राकृतिक जल निकास	1	जल की अबाधित धारा सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक जल निकास प्रणाली का प्रबंध होना चाहिए। साइट के माध्यम से प्राकृतिक जल निकास को अवरोध करने के लिए निर्माण की अनुमति नहीं होगी। नमभूमि और जल निकायों पर निर्माण की अनुमति नहीं होगी। जल निकास पैटर्न तथा वर्षा जल संचयन के लिए चेक डैम, बायो-स्वाल्स, लैंडस्केप तथा अन्य धारणीय शहरी जल निकास प्रणालियों (एसयूडीएस) की अनुमति होगी। जहां तक संभव हो सके, भवनों की डिजाइन में प्राकृतिक स्थलाकृति का पालन किया जाएगा। कम से कम कटाई तथा भराई होनी चाहिए।
जल संरक्षण, वर्षा जल सिंचाई तथा भूमि जल को रिचार्ज करना	2	जल संचयन, जल क्षमता और संरक्षण के लिए एक पूर्ण योजना तैयार की जाए। न्यून फिक्चर या सेंसरों वाले जल क्षमता वाले उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वर्षा संचयन के संबंध में स्थानीय उप नियम, उपबंधों का पालन किया जाएगा। अगर स्थानीय उप नियम उपलब्ध नहीं है तो शहरी विकास मंत्रालय का मॉडल भवन उप नियम, 2016 के अनुसार भंडारण तथा रिचार्ज के लिए पर्याप्त प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। वर्षा जल संचयन योजना का डिजाइन बनाने की आवश्यकता है जहां 5000 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र में कम से कम एक रिचार्ज बोर हो तथा कम से कम कुल एक दिन के शुद्ध जल के प्रबंधन की भंडारण क्षमता की आवश्यकता होगी। उन क्षेत्रों, जहां भूमिगत जल को रिचार्ज करना संभव नहीं है, में वर्षा जल संचयन चाहिए तथा पुनः उपयोग के लिए भंडारण किया जाएगा। भूमिगत जल को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना नहीं निकाला जाएगा। सभी रिचार्ज सीमित उथले जलभृत तक सीमित होनी चाहिए।
	2 (क)	स्थानीय भवन उप-नियमों द्वारा यथाअपेक्षित खुले स्थानों का कम से कम 20% भाग भेद्य होगा। न्यूनतम 50% खाली जगह, भूदृश्य आदि सहित हरित खंडजों, खंडज प्रखंड के उपयोग सहित यथा प्रवेश्य धरातल के रूप में विचार किया जाएगा।
अपशिष्ट प्रबंधन	3	ठोस अपशिष्ट: प्रत्येक इकाई में और भू तल पर पृथक-पृथक गीले और सूखे कचरे के डिब्बे, अपशिष्ट के पृथक्करण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदान किए जाएंगे। मलजल: अपशिष्ट 100% अपशिष्ट जल के शोधन की स्थल पर मलजल शोधन क्षमता संस्थापित की

		जानी है। शोधित अपशिष्ट जल को स्थल पर भूदृश्य, फलशिंग, कूलिंग टावर और अन्य प्रयोजनार्थ पुनःप्रयोग किया जाएगा। अतिरिक्त शोधित जल को सीपीसीबी मानकों के अनुसार छोड़ा जाएगा। प्राकृतिक शोधन प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। सेप्टिक टैंकों सहित स्थल पर (ऑन साइट) शोधन से अवमल का मल-निर्यास और मलजल शोधन प्रणाली, 2013 पर शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ), के मैनुअल के अनुसार संग्रहण, ढुलाई और निपटान किया जाएगा। ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।
	3 (क)	सभी गैर-जैवक्रमणीय अपशिष्ट प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को सौंपा जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ लिखित में गठजोड़ किया जाना चाहिए।
	3 (ख)	जैविक अपशिष्ट कम्पोस्ट/0.3 कि./प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन की न्यूनतम क्षमता वाला वर्मिकल्चर/पिट संस्थापित किया जाना चाहिए।
ऊर्जा	4	ऊर्जा दक्षता व्यूरो के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यों में जिन भवनों ने अपने स्वयं ईसीबीसी अधिसूचित किए हैं, वे भवन राज्य ईसीबीसी का अनुपालन करेंगे। बाहरी क्षेत्र और साझा क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था एलईडी की होगी। पैसिव सौर डिजाइन की संकल्पना, जिसमें भवनोन्मुख, भू-दृश्य निर्माण, कौशलपूर्ण भवन आवरण, उचित गवाक्षीकरण, दिन में उन्नत प्रकाश व्यवस्था डिजाइन और ताप विद्युत मास आदि का उपयोग करके भवनों में ऊर्जा उपभोग न्यूनतम किया जाता है, भवन डिजाइन में समावेशित किया जाएगा। दीवार, खिड़की और रूफ-यू-वैल्यूज, ईसीबीसी विनिर्देशों अनुसार होनी चाहिए।
	4 (क)	भार की मांग के 1% के बराबर विद्युत उत्पादन अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उप-नियमों की अपेक्षानुसार जो भी अधिक हो, को पूरा करने के लिए सौर, पवन अथवा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापित की जाएगी।
	4 (ख)	वाणिज्यिक और संस्थागत भवनों की गर्म जल की 20% मांग अथवा स्थानीय भवन उप-नियमों के यथा अपेक्षा अनुसार, जो भी अधिक हो, को पूरा करने के लिए सौर जल तापक प्रदान किए जाएंगे। आवासीय भवनों को भी यथासंभव सौर जल हीटर्स से अपनी गर्मपानी की मांग पूरा करने के लिए सुझाव दिया गया है।
	4 (ग)	निर्माण सामग्री की मात्रा के कम से कम 20% मात्रा हेतु ईटों, प्रखंडों और अन्य निर्माण सामग्रियों में पर्यावरण अनुकूलन सामग्री का उपयोग करना अपेक्षित होगा। इनके फ्लाई ऐश ईटे, खोखली (हौलो) ईटें, एएसी, फ्लाई ऐश चूनापत्थर, जिप्सम प्रखंड, कम्प्रेस्ड मृदा प्रखंड और अन्य पर्यावरण अनुकूल सामग्रियां शामिल हैं। फ्लाई ऐश को समय-समय पर यथा संशोधित सितम्बर, 1999 की फ्लाई ऐश अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार निर्माण में भवन सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए।
वायु गुणवत्ता और ध्वनि	5	भवन के साथ-साथ निर्माण स्थल के लिए धूल कण, धुंध और अन्य वायु प्रदूषण उपशमन उपाय अपनाएं जाएंगे। इन उपायों में निर्माणाधीन भवनों के लिए स्क्रीन, निर्माण स्थल के चारों ओर सतत धूलकण/पवन को मंद करने के लिए दीवारों (कम से कम 3 मीटर ऊँची) का निर्माण शामिल हैं। निर्माण स्थल में बालू, सीमेंट, लोहबान और अन्य निर्माण सामग्रियां, जिनके कारण स्थल पर धूल प्रदूषण उत्पन्न होता है, लाने वाले और निर्माण स्थल से डेबरी ले जाने वाले वाहनों के लिए प्लास्टिक/तिरपाल की शीट कवर प्रदान किए जाने चाहिए। स्थल पर भण्डारण किए हुए बालू, लोहबान, खुली मृदा, सीमेंट को पर्याप्त रूप से ढका होना चाहिए ताकि धूलकण से प्रदूषण की रोकथाम की जा सके। निर्माण सामग्री की पिसाई और पत्थरों की कटाई के लिए वेटजेट प्रदान किए जाएं। निर्माण और विध्वंस का समस्त कचरा उचित ढंग से निपटान किए जाने से पूर्व स्थल पर ही रखा जाएगा (सड़क अथवा बाहर खुले स्थान पर ढेर नहीं लगाया जाएगा)। समस्त विध्वंस और निर्माण अपशिष्ट का प्रबंधन निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

		निर्माण स्थल पर कार्यरत तथा निर्माण सामग्री और निर्माण कचरे को लादने, उतराने, ढुलाई अथवा धूल प्रदूषण वाले किसी क्षेत्र में कार्यरत सभी मजदूरों को डस्ट मास्क उपलब्ध कराए जाएं। भीतरी वायु गुणवत्ता के संबंध में भारत के राष्ट्रीय भवन क्रोड के अनुसार वायुसंचार प्रावधान किए जाएं।
	5(क)	डीजी सेट का स्थान और निकास नली की ऊँचाई सीपीसीवी मानदण्डों के प्रावधानों के अनुसार होगी।
हरित आवरण	6	प्रति 80 वर्गफुट भूमि के लिए कम से कम एक वृक्ष लगाया जाना चाहिए और उसकी देख-रेख की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए विद्यमान वृक्षों की गणना की जाएगी। स्थानिक प्रजातियों के रोपण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
	6(क)	जहां वृक्षों को काटे जाने की आवश्यकता है, 1:3 (अर्थात् काटे गए प्रत्येक 1 वृक्ष के लिए 3 वृक्षों का रोपण) के अनुपात में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाए और उसका रख-रखाव किया जाए।
ऊपरी मृदा का परिरक्षण और पुनः उपयोग	7	भवनों, सड़कों, पेवड क्षेत्रों और बाह्य सेवाओं हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों से ऊपरी मृदा को 20 सेमी. की गहराई तक खोदा जाए। इसे निर्दिष्ट क्षेत्रों में उपयुक्त तरीके से संचित किया जाए तथा स्थल पर प्रस्तावित पेड़-पौधों के रोपण के दौरान पुनः उपयोग किया जाए।
परिवहन	8	एमओयूडी सर्वोत्तम पद्धतियां दिशा-निर्देश(यूआरडीपीएफआई) के अनुसार, एक व्यापक मोबिलिटी योजना बनाई जाए ताकि मोटर-सज्जित, गैर-मोटर-सज्जित, सार्वजनिक और निजी नेटवर्कों को शामिल किया जा सके। सड़क का डिजाइन पर्यावरण, और उपयोक्ताओं की सुरक्षा को पर्याप्त ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। सड़क प्रणाली का डिजाइन इन मूलभूत मापदंडों के अनुसार बनाया जा सकता है। वाहनीय और पैदल यातायात के उचित पृथक्करण से सड़कों का अनुक्रम। यातायात शामक उपाय। प्रवेश और निकासी बिंदुओं का उचित डिजाइन। स्थानीय विनियम के अनुसार पार्किंग मानक।

(श्रेणी '3' : 50000 से 150000 वर्ग मीटर)

माध्यम	क्र.सं.	पर्यावरणीय स्थिति
स्थलाकृति और प्राकृतिक निकासी	1	जल का अबाधित बहाव सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक निकासी प्रणाली का रख-रखाव किया जाना चाहिए। ऐसे किसी निर्माण की अनुमति न दी जाए जिससे कि स्थल के माध्यम से प्राकृतिक निकासी बाधित हो। आर्द्रभूमि और जल निकायों पर किसी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती है। निकासी पैटर्न को बनाए रखने तथा वर्षा जल संचयन के लिए चक्र बांध, बाँयो.स्वेलस, भू-दृश्य, और अन्य सतत शहरी निकासी प्रणालियां (एसयूडीएस) अनुमत हैं। भवनों का डिजाइन, जहां तक संभव हो, प्राकृतिक स्थलाकृति के अनुसार बनाया जाना चाहिए। पेड़ों को काटना और गिराना न्यूनतम होना चाहिए।
जल संरक्षण-वर्षा जल संचयन और भू जल रिचार्ज	2	वर्षा जल संचयन, जल के गुणवत्ता तथा संरक्षण के लिए एक पूर्ण योजना बनाई जाए। वर्षा जल संचयन के संबंध में स्थानीय उपविधि का पालन किया जाए। यदि स्थानीय उपविधि उपलब्ध न हों, तो शहरी विकास मंत्रालय के मॉडल भवन उपविधि, 2016 के अनुसार भंडारण और रिचार्ज संबंधी उपयुक्त प्रावधानों का पालन किया जाए। एक वर्षा जल संचयन योजना डिजाइन किए जाने की आवश्यकता है जहां निर्मित क्षेत्र के प्रति 5,000 वर्ग मीटर न्यूनतम एक रिचार्ज बोर और कुल ताजा जल आवश्यकता की न्यूनतम एक दिन की भंडारण क्षमता का रिचार्ज बोर प्रदान किया जाए। ऐसे क्षेत्र जहां भूजल रिचार्ज व्यवहार्य नहीं है, वहां वर्षा जल का संचयन और पुनः उपयोग हेतु भंडारण किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लिए बिना भूजल न निकाला जाए।

		सभी रिचार्ज ऊपरी जलभृत एक सीमित होने चाहिए।
	2 (क)	स्थानीय भवन उप-नियमों द्वारा का यथा अपेक्षित खुले स्थान कम से कम 20% प्रवेश्य होगा। कम से कम 50% खुले स्थान वाले ग्रास पेवर, पेवर ब्लॉक, भू-दृश्य इत्यादि को प्रवेश्य सतह माना जाएगा।
	2 (ख)	जल किफायती उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। लो-फ्लो फिक्सरों अथवा सेंसरों का प्रयोग जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया जाए।
	2 (ग)	दोहरी प्लंबिंग प्रणाली के प्रयोग द्वारा भूरे और काले पानी को पृथक किया जाए। सिंगल स्टेक प्रणाली के मामले में दोहरी प्लंबिंग प्रणाली द्वारा फ्लशिंग के लिए अलग पुनर्संचरण लाइनें बनाई जायेंगी।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	3	ठोस अपशिष्ट: अपशिष्ट के अलग-अलग करने को आसान बनाने के लिए प्रत्येक इकाई और भूतल पर अलग-अलग गीले और सूखे कूड़े दान उपलब्ध कराए जाएं। ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016, और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा।
	3 (क)	सभी गैर जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट को प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के हवाले कर दिया जाएगा जिसके लिए प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ लिखित समझौता किया जाएगा।
	3 (ख)	न्यूनतम 0.3 किग्रा/व्यक्ति/दिन की क्षमता वाले जैविक अपशिष्ट कम्पोस्टर/वर्मीकल्चर गड्डे बनाए जायेंगे।
मल-जल शोधन संयंत्र	4	स्थल पर 100% अपशिष्ट जल शोधन क्षमता के मल-जल शोधन की अवस्थापना किया जाना। शोधित मल-जल का पुनर्प्रयोग स्थल पर लैंड-स्केप, प्लशिंग, कूलिंग टावर और अन्य अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए किया जाए। अतिरिक्त शोधित जल को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार बहाया जाएगा। प्राकृतिक शोधन प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। सेप्टिक टैंकों सहित साइट पर मल-जल शोधन से उत्पन्न तलछट को एकत्र किया जाएगा और उसे शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और मल-जल एवं मल-जल शोधन संयंत्र, 2013 संबंधी पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) मैनुअल के अनुसार ढोकर निपटान किया जाएगा।
ऊर्जा	5	ऊर्जा दक्षता व्यरो के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिन राज्यों ने अपना स्वयं का ईसीबीसी अधिसूचित किया है, भवन अभिकल्पन में राज्य ईसीबीसी का अनुपालन करेंगे। प्रकाश व्यवस्था बाहरी और कॉमन एरिया में एलईडी की होगी। भवन अभिकल्पन में भवन अनुस्थापन, भू-दृश्यीकरण, प्रभावी भवन विकास, खिड़कियों की समुचित व्यवस्था, जिनमें प्रकाश बढ़ाने वाला अभिकल्पन और थर्मल मास इत्यादि जैसे अभिकल्पन तत्वों का प्रयोग करके भवन में न्यूनतम ऊर्जा खपत वाले पैसिव सोलर अभिकल्पन की संकल्पना को शामिल किया जाएगा। दीवार, खिड़की और छत यू-वैल्यूज़ ईसीबीसी विनिर्देशों के अनुसार होंगे।
	5 (क)	सौर, पवन या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा की व्यवस्था ताकि मांग भार या राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उप-नियमों या जो भी अधिक हो, के अनुसार 1% के बराबर विद्युत उत्पादन पूरा किया जा सके।
	5 (ख)	व्यावसायिक और सांस्थानिक भवनों की 20% गर्म पानी की मांग को पूरा करने या स्थानीय भवन उप-नियमों की आवश्यकता, जो भी अधिक हो, के अनुसार सोलर वाटर हीटिंग उपलब्ध कराई जाएगी। आवासीय भवनों को भी, जहां तक संभव हो, अपनी गर्म पानी की मांग को सोलर वाटर से पूरा करने की सिफारिश की जाती है।
	5 (ग)	ईटों, ब्लॉक्स और अन्य निर्माण सामग्री में कम से कम 20% पर्यावरण अनुकूल सामग्री के प्रयोग की आवश्यकता होगी। इसमें फ्लाई ऐश, ईटें, हॉलों ईटों, एएसी, फ्लाई ऐश लाइम जिप्सम ब्लॉक्स,

		कम्प्रेस्ड अर्थ बलॉक्स और अन्य पर्यावरण अनुकूल सामग्री शामिल होगी। समय-समय पर यथा संशोधित सितंबर, 1999 की फ्लाइ ऐश अधिसूचना के अनुसार निर्माण में भवन सामग्री के रूप में फ्लाइ ऐश का प्रयोग किया जाना चाहिए।
जल गुणवत्ता और ध्वनि	6	भवन और स्थान में धूल, धुआँ और अन्य वायु प्रदूषण निवारक उपाय किए जाएं। इन उपायों में निर्माणाधीन भवन के लिए स्क्रीन, स्थल के चारों ओर सतत रूप से धूल/हवा रोकने वाली दीवारें कम से कम 3 मीटर ऊंचाई की) शामिल हैं। स्थल पर रेत, सीमेंट, लोहबान और अन्य निर्माण सामग्री, जो कि धूल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, के साथ-साथ स्थल से मलबे को बाहर ले जाने वाले वाहनों के लिए प्लास्टिक/तिरपाल के शीट कवर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रयुक्त वाहनों के पहियों की धुलाई की जाएगी। स्थल पर भण्डारित रेत, लोहबान, खुली मृदा, सीमेंट को अच्छी प्रकार से ढका जाएगा ताकि धूल प्रदूषण को रोका जा सके। पिसाई और पत्थर कटाई के लिए बेट जेट उपलब्ध कराया जाएगा। धूल को दबाने के लिए कच्ची सतहों और खुली मृदा पर पर्याप्त जल छिड़काव किया जाएगा। सभी निर्माण और विध्वंस मलबे के समुचित निपटान (बाहर सड़कों या खुले स्थानों पर ढेर नहीं लगाया जाएगा) से पहले, स्थल पर उनका भण्डारण किया जाएगा। सभी विध्वंस और निर्माण अपशिष्ट का, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार प्रबंधन किया जाएगा। निर्माण स्थल पर कार्यरत और निर्माण सामग्री और निर्माण मलबे की लदाई, उतराई और ढुलाई में शामिल अथवा धूल प्रदूषण से युक्त किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी कामगारों को धूल रोधी मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। भीतरी वायु गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय भारतीय भवन संहिता के अनुसार वातायान-व्यवस्था के प्रावधान।
	6(क)	डीजी सेट का स्थान और निकास पाइप की ऊंचाई, सीपीसीबी मापदंडों के उपबंधों के अनुसार होगी।
हरित आवरण	7	प्रत्येक 80 वर्ग मीटर भूमि के लिए न्यूनतम 1 पेड़ लगाया जाएगा और उसका रखरखाव किया जाएगा। इस प्रयोजन से मौजूदा पेड़ों की गिनती की जाएगी। स्थानिक प्रजातियों लगाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
	7(क)	जहां पर पेड़ों को काटे जाने की आवश्यकता है वहां पर 1:3 के अनुपात (अर्थात् काटे गए प्रत्येक 1 पेड़ के लिए 3 पेड़ लगाना) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा और रखरखाव किया जाएगा।
ऊपरी मृदा परिरक्षण और पुनर्उपयोग	8	भवनों, सड़कों, पक्के क्षेत्रों और बाहरी सेवाओं के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों से 20 सेमी की गहराई तक ऊपरी मृदा को खोदा जाना चाहिए। इसका निर्धारित क्षेत्रों में समुचित ढंग से भण्डारण किया जाना चाहिए और स्थल पर प्रस्तावित वनस्पति के रोपण के दौरान इसका पुनर्उपयोग किया जाएगा।
परिवहन	9	शहरी विकास मंत्रालय की उत्तम प्रक्रियाओं संबंधी दिशा-निर्देशों (यूआरडीपीएफआई) के अनुसार मोटरयुक्त, गैर-मोटरयुक्त, सार्वजनिक और निजी तंत्रों को शामिल करने के लिए एक व्यापक गतिशीलता योजना तैयार की जाएगी। सड़कों को पर्यावरण और प्रयोक्ताओं की सुरक्षा पर अपेक्षित विचार करते हुए अभिकल्पित किया जाना चाहिए। सड़क प्रणाली को इन आधारभूत मानदंडों के साथ अभिकल्पित किया जा सकता है। 1. वाहनीय और पैदल-पथ यातायात के उचित पृथक्करण के साथ सड़कों का वर्गीकरण 2. यातायात को सुचारू रखने के उपाय 3. प्रवेश और निकास बिंदुओं का उचित अभिकल्प 4. स्थानीय विनियमन के अनुसार पार्किंग मापदंड

पर्यावरण प्रबंधन योजना	10	उपरोक्त मद सं. 1 से 9 में विनिर्दिष्ट पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार और क्रियान्वित की जाएगी। ईएमपी को क्रियान्वित करने के लिए परिभाषित क्रियाकलापों और उत्तरदायित्व के साथ एक समर्पित पर्यावरण निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। यह पर्यावरणीय प्रकोष्ठ सुनिश्चित करेगा कि मलजल शोधन संयंत्र, भू-दृश्य निर्माण, वर्षा-जल संचयन, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण, जल दक्षता और संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा आदि जैसी पर्यावरण अवसंरचना प्रचालनारत है और अपेक्षित मानकों को पूरा करती है। पर्यावरणीय प्रकोष्ठ, पर्यावरण निगरानी और पर्यावरण अवसंरचना से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव भी करेगा।
------------------------	----	---

परिशिष्ट-XV

पर्यावरणीय लेखा परीक्षकों (योग्य भवन लेखा परीक्षक) की मान्यता

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) योग्य अभिकरणों के माध्यम से योग्य भवन पर्यावरण लेखा परीक्षकों (क्यूबीईए) को मान्यता देगा। योग्य भवन पर्यावरण लेखा परीक्षक फर्म/संगठन अथवा वैयक्तिक विशेषज्ञ हो सकते हैं, जो अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। मंत्रालय, भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई), राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संगठन के माध्यम से मान्यता की इस प्रक्रिया को क्रियान्वित करेगा। भारतीय हरित भवन परिषद, उर्जा दक्षता ब्यूरो इत्यादि जैसे संगठन भी मान्यता देने, प्रशिक्षण और नवीकरण की प्रक्रिया से जोड़े जा सकते हैं। भवन क्षेत्र के लिए क्यूसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यावरणीय परामर्शी क्यूबीईए के रूप में योग्य होंगे। क्यूबीईए निम्नलिखित मानदंड पूरा करेंगे। मान्यता देने वाला प्राधिकरण इन मानदंडों का सुधार कर सकता है।

लेखा परीक्षक की योग्यताएं :

क. शिक्षा: वास्तुकार (डिग्री अथवा डिप्लोमा), नगर नियोजक (डिग्री), सिविल इंजीनियर/मैकनिकल इंजीनियर (डिग्री अथवा डिप्लोमा), पर्यावरणीय विज्ञान में स्नातकोत्तर अथवा मान्यता की स्कीम के अनुसार कोई अन्य योग्यता

प्रशिक्षण :

ख. प्रत्यायन निकाय अथवा उनके अनुमोदित प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह मान्यता की स्कीम के अनुसार होगा।

अनुभव :

ग. संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का कार्य अनुभव अथवा क्यूसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त भवन और पर्यावरण प्रभाव आकलन परामर्शदाता अथवा मान्यता की स्कीम के अनुसार किसी अन्य प्रकार का अनुभव मानदंड।

अवसंरचना एवं उपकरण :

घ. मान्यता की स्कीम के अनुसार

नवीकरण:

ड. प्रत्यायन 5 वर्षों के लिए मान्य होगा और प्रत्यायन स्कीम के अंतर्गत विकसित प्रक्रिया के अनुसार नवीकृत किया जाएगा।

उत्तरदायित्व/शिकायत निवारण कार्यतंत्र: क्यूबीईएएस के कार्य की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी शिकायत प्रत्यायन निकाय को की जाएगी। प्रत्यायन निकाय शिकायत पर विचार करेगा और काली सूची में डालने अथवा व्यापक सार्वजनिक सूचना के साथ प्रत्यायन को रद्द करने सहित उपयुक्त कार्यवाही करेगा। यह दण्ड देने और काली सूची में डालने के लिए स्थानीय प्राधिकरण के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही के अलावा होगा। विशिष्ट शिकायत अथवा फीडबैक के मामले में मंत्रालय भी इस प्रकार की कार्यवाही कर सकता है।

परिशिष्ट-XVI

स्थानीय प्राधिकरण के स्तर पर पर्यावरणीय प्रकोष्ठ:

भवनों में पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन और मानीटरी को सहायता देने के लिए स्थानीय प्राधिकरण के स्तर पर पर्यावरणीय प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। यह प्रकोष्ठ अपने क्षेत्राधिकार के तहत पर्यावरणीय आयोजना और क्षमता निर्माण में सहायता भी प्रदान करेगा। इस प्रकोष्ठ के उत्तरदायित्व, इस अधिसूचना के कार्यान्वयन की मानीटरी करना और तीसरे-पक्षकार की लेखा-परीक्षा प्रक्रिया का अनुरक्षण करना है। यह प्रकोष्ठ स्थानीय प्राधिकरण के तहत संचालित होगा।

प्रकोष्ठ का संघटन :

इस प्रकोष्ठ में निम्नलिखित क्षेत्रों में कम से कम 3 समर्पित व्यक्ति शामिल होंगे:

- क. अपशिष्ट प्रबंधन (ठोस और द्रव्य)
- ख. जल संरक्षण और प्रबंधन
- ग. निर्माण सामग्रियों सहित संसाधन की कार्यकुशलता
- घ. ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा
- च. वायु गुणवत्ता प्रबंधन सहित पर्यावरणीय आयोजना
- छ. परिवहन आयोजना और प्रबंधन

यह प्रकोष्ठ समर्पित विशेषज्ञों की आवश्यकता और पृष्ठभूमि के अनुसार कम से कम दो बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करेगा। स्थानीय प्राधिकरण के स्तर पर मौजूदा पर्यावरणीय प्रकोष्ठों को सह-योजित और इस प्रकोष्ठ के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है।

वित्तीय सहायता:

पर्यावरणीय शर्तों के समाकलन और इसकी मॉनीटरिंग के लिए निर्माण अनुमति हेतु कार्यवाही शुल्क के साथ अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। स्थानीय प्राधिकरण समय-समय पर इस अतिरिक्त शुल्क को निर्धारित और संशोधित कर सकता है। इस शुल्क की धनराशि, एक पृथक बैंक खाते में जमा किया जाएगा और विशेषज्ञों के वेतन/पारिश्रमिक की आवश्यकता को पूरा करने और ऑनलाइन प्रार्थना पत्र की प्रणाली को जारी रखने, सत्यापन और पर्यावरणीय प्रकोष्ठ के लिये उपयोग में लाया जाएगा।

प्रकोष्ठ के कार्य

1. यह प्रकोष्ठ अपने क्षेत्राधिकार में उस क्षेत्र के पर्यावरण सरोकारों का मूल्यांकन और आकलन करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां निर्माण कार्यकलाप करना प्रस्तावित है। यह प्रकोष्ठ अपेक्षाओं के अनुसार अतिरिक्त पर्यावरणीय शर्तें विकसित कर सकता है और शर्तों का प्रस्ताव रख सकता है। ये शर्तें क्षेत्र विशिष्ट हो सकती हैं तथा समय-समय पर पहले से अधिसूचित की जाएंगी। ये अतिरिक्त शर्तें परामर्श की यथा प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अनुमोदित की जाएंगी। ये पर्यावरणीय शर्तें अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा निर्माण अनुमति में समेकित की जाएंगी।
2. आवेदन और शुल्क के भुगतान के लिए एक ऑन लाइन प्रणाली बनाना तथा उसकी देख-रेख करना। यह प्रकोष्ठ प्राप्त सभी आवेदनों, अनुमोदित परियोजनाओं, अनुपालन लेखापरीक्षण रिपोर्ट, किए गए औचक निरीक्षणों का एक आनलाइन डाटाबेस बनाएगा। यह प्रकोष्ठ परियोजना द्वारा पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन की लोगों द्वारा संवीक्षा के लिए अर्हता-प्राप्त निर्माण पर्यावरण लेखा-परीक्षकों द्वारा दर्ज लेखा-परीक्षा रिपोर्टों के स्व-प्रमाणीकरण और अनुपालन सहित परियोजना व्यौरों का सार्वजनिक प्रकटन के लिए एक पोर्टल बनाएगा।
3. अर्हता-प्राप्त निर्माण लेखा-परीक्षकों द्वारा कराई गई पर्यावरणीय लेखा-परीक्षा प्रक्रिया के कार्य की निगरानी करेगा।
4. यह प्रकोष्ठ आवेदनों की समीक्षा करेगा; स्थानीय प्राधिकरणों को आवेदन प्रस्तुत करने के 30 दिन के अंदर अतिरिक्त पर्यावरणीय शर्तों, यदि अपेक्षित हो तो, को अंतिम रूप देगा।
5. यह प्रकोष्ठ क्यूबीए के प्रमाणीकरण, पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन और पंच वर्षीय लेखा रिपोर्ट के लिए स्थल पर जांच करने के लिए परियोजनाओं का जोखिम आधारित औचक चयन अंगीकृत करेगा।
6. यह प्रकोष्ठ परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय शर्तों के गैर-अनुपालन के लिए वित्तीय अर्थदंड के लिए स्थानीय प्राधिकरण को सिफारिश करेगा।
7. यह प्रकोष्ठ किसी भी अर्हता-प्राप्त निर्माण पर्यावरण लेखा-परीक्षकों के विरुद्ध, यदि उनके कार्य में कोई त्रुटि पाई जाती है तो, प्रत्यायोजन निकाय और स्थानीय प्राधिकरण को सिफारिश करेगा।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2016

S.O. 3999(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) read with clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 and clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on and from the date of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process or technology and or product mix shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

And whereas, the said Ministry has received suggestions for ensuring Ease of Doing Responsible Business; and streamlining the permissions for buildings and construction sector which is important for providing houses and for this purpose the scheme of Housing for all by 2022 with an objective of making available affordable housing to weaker sections in urban area has ambitious target;

And whereas clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that, whenever the Central Government considers that prohibition or restrictions of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall give notice of its intention to do so;

And whereas, a draft notification for making amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 issued in exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 was published, vide number S.O.1595 (E) dated the 29th April 2016, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date of publication of said notification in the Gazette of India;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 namely:-

In the said Notification,-

(I) after paragraph 13, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“14. Integration of environmental condition in building bye-laws.-

(1) The integrated environmental conditions with the building permission being granted by the local authorities and the construction of buildings as per the size shall adhere to the objectives and monitorable environmental conditions as given at Appendix-XIV.

(2) The States adopting the objectives and monitorable environmental conditions referred to in subparagraph (1), in the building bye-laws and relevant State laws and incorporating these conditions in the approvals given for building construction making it legally enforceable shall not require a separate environmental clearance from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for individual buildings.

(3) The States may forward the proposed changes in their bye-laws and rules to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, who in turn will examine the said draft bye-laws and rules and convey the concurrence to the State Governments.

(4) When the State Governments notifies the bye-laws and rules concurred by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the Central Government may issue an order stating that no separate environmental clearance is required for buildings to be constructed in the States or local authority areas.

- (5) The local authorities like Development Authorities, Municipal Corporations, may certify the compliance of the environmental conditions prior to issuance of Completion Certificate, as applicable as per the requirements stipulated for such buildings based on the recommendation of the Environmental Cell constituted in the local authority.
- (6) The State Governments where bye-laws or rules are not framed may continue to follow the existing procedure of appraisal for individual projects and grant of Environmental Clearance for buildings and constructions as per the provisions laid down in this notification.
- (7) For the purpose of certification regarding incorporation of environmental conditions in buildings, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may empanel through competent agencies, the Qualified Building Environment Auditors (QBEAs) to assess and certify the building projects, as per the requirements of this notification and the procedure for accreditation of Qualified Building Auditors and their role as given at Appendix-XV.
- (8) In order to implement the integration of environmental condition in building bye-laws, the State Governments or Local Authorities may constitute the Environment Cell (herein after called as Cell), for compliance and monitoring and to ensure environmental planning within their jurisdiction.
- (9) The Cell shall monitor the implementation of the bye-laws and rules framed for Integration of environmental conditions for construction of building and the Cell may also allow the third party auditing process for oversight, if any.
- (10) The Cell shall function under the administrative control of the Local Authorities.
- (11) The composition and functions of the Cell are given at Appendix-XVI.
- (12) The Local Authorities while integrating the environmental concerns in the building bye-laws, as per their size of the project, shall follow the procedure, as given below:

BUILDINGS CATEGORY '1' (5,000 to < 20,000 Square meters)

A Self declaration Form to comply with the environmental conditions (Appendix XIV) along with Form 1A and certification by the Qualified Building Environment Auditor to be submitted online by the project proponent besides application for building permission to the local authority along with the specified fee in separate accounts. Thereafter, the local authority may issue the building permission incorporating the environmental conditions in it and allow the project to start based on the self declaration and certification along with the application. After completion of the construction of the building, the project proponent may update Form 1A online based on audit done by the Qualified Building Environment Auditor and shall furnish the revised compliance undertaking to the local authority. Any non-compliance issues in buildings less than 20,000 square meters shall be dealt at the level of local body and the State through existing mechanism.

OTHER BUILDINGS CATEGORIES ($\geq$ 20,000 Square meters)

The project proponent may submit online application in Form 1 A alongwith specified fee for environmental appraisal and additional fee for building permission. The fee for environmental appraisal will be deposited in a separate account. The Environment Cell will process the application and present it in the meeting of the Committee headed by the authority competent to give building permission in that local authority. The Committee will appraise the project and stipulate the environmental conditions to be integrated in the building permission. After recommendations of the Committee, the building permission and environmental clearance will be issued in an integrated format by the local authority.

The project proponent shall submit Performance Data and Certificate of Continued Compliance of the project for the environmental conditions parameters applicable after completion of construction from Qualified Building Environment Auditors every five years to the Environment Cell with special focus on the following parameters:-

- (a) Energy Use (including all energy sources).
- (b) Energy generated on site from onsite Renewable energy sources.
- (c) Water use and waste water generated, treated and reused on site.
- (d) Waste Segregated and Treated on site.
- (e) Tree plantation and maintenance.

After completion of the project, the Cell shall randomly check the projects compliance status including the five years audit report. The State Governments may enact the suitable law for imposing penalties for non-compliances of the

environmental conditions and parameters. The Cell shall recommend financial penalty, as applicable under relevant State laws for non-compliance of conditions or parameters to the local authority. On the basis of the recommendation of the Cell, the local authority may impose the penalty under relevant State laws. The cases of false declaration or certification shall be reported to the accreditation body and to the local body for blacklisting of Qualified Building Environment Auditors and financial penalty on the owner and Qualified Building Environment Auditors.

No Consent to Establish and Operate under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 will be required from the State Pollution Control Boards for residential buildings up to 1,50,000 square meters.”;

(II) In the Schedule, for item 8 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“8		Building / Construction projects / Area Development projects and Townships		
8 (a)	Building and Construction projects		≥ 20,000 sq. mtrs and < 1,50,000 sq. mtrs of built up area	The term “built up area” for the purpose of this notification is the built up or covered area on all floors put together including its basement and other service areas, which are proposed in the buildings and construction projects. Note 1. The projects or activities shall not include industrial shed, universities, college, hostel for educational institutions, but such buildings shall ensure sustainable environmental management, solid and liquid and implement environmental conditions given at Appendix-XIV. Note 2.-General Condition shall not apply. Note 3.-The exemptions granted at Note 1 will be available only for industrial shed after integration of environmental norms with building permissions at the level of local authority.
8 (b)	Townships and Area Development projects	≥ 3,00,000 sq. mtrs of built up area or Covering an area ≥ 150 ha	≥1,50,000 sq. mtrs and < 3,00,000 sq. mtrs built up area or covering an area ≥ 50 ha and < 150 ha	Note.- General Condition shall not apply”.

[F. No. 19-2/2013-IA-III (Pt.)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended vide numbers S.O.1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E), dated the 1st December, 2009, S.O.695(E), dated the 4th April, 2011, S.O.2896(E), dated the 13th December, 2012, S.O.674(E), dated the 13th March, 2013, S.O.2559(E), dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E), dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E), dated the 26th February, 2014, S.O.637(E), dated the 28th February, 2014, S.O.1599(E), dated the 25th June, 2014, S.O. 2601 (E), dated 7th October, 2014, S.O. 2600(E) dated 9th October, 2014, S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014, S.O. 382 (E), dated 3rd February, 2015, and S.O. 811(E), dated 23rd March, 2015, S.O. 996 (E) dated 10th April, 2015, S.O. 1142 (E) dated 17th April, 2015, S.O. 1141 (E) dated 29th April, 2015, S.O. 1834(E) dated 6th July, 2015 and S.O. 2572(E) dated 14th September, 2015, S.O. 141(E) dated 15th January, 2016, S.O. 190(E) dated 20th January, 2016, S.O. 648(E) dated 3rd March, 2016 and S.O. 2269(E) dated 1st July, 2016.

APPENDIX –XIV

ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOR BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS

(CATEGORY '1': 5,000 to less than 20,000 Square meters)

MEDIUM	S.N.	ENVIRONMENTAL CONDITIONS
Topography and Natural Drainage	1	The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site. No construction is allowed on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape, and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.
Water Conservation, Rain Water Harvesting, and Ground Water Recharge	2	Use of water efficient appliances shall be promoted. The local bye-law provisions on rain water harvesting should be followed. If local bye-law provision is not available, adequate provision for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building Bye-Laws, 2016. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores (minimum one recharge bore per 5,000 square meters of built up area) is recommended. Storage and reuse of the rain water harvested should be promoted. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority. All recharge should be limited to shallow aquifer.
	2(a)	At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as pervious surface.
Waste Management	3	Solid waste: Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Sewage: In areas where there is no municipal sewage network, onsite treatment systems should be installed. Natural treatment systems which integrate with the landscape shall be promoted. As far as possible treated effluent should be reused. The excess treated effluent shall be discharged following the CPCB norms. Sludge from the onsite sewage treatment, including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Central Public Health and Environmental Engineering Organisation (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013. The provisions of the Solid Waste (Management) Rules 2016 and the e-waste (Management) Rules 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules 2016 shall be followed.
Energy	4	Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Buildings in the States which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC. Outdoor and common area lighting shall be Light Emitting Diode (LED). Solar, wind or other Renewable Energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level/ local building bye-laws requirement, whichever is higher. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.

Air Quality and Noise	5	Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around the site (at least 3 meter height). Plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, murram and other construction materials prone to causing dust pollution at the site as well as taking out debris from the site. Sand, murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting. Unpaved surfaces and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust. All construction and demolition debris shall be stored at the site (and not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules 2016. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India shall be made.
	5 (a)	The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the CPCB norms.
Green Cover	6	A minimum of 1 tree for every 80 square meters of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. Preference should be given to planting native species.
	6 (a)	Where the trees need to be cut, compensatory plantation in the ratio of 1:3 (i.e. planting of 3 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained.

(Category '2': 20,000 to less than 50,000 Square meters)

MEDIUM	S.N.	ENVIRONMENTAL CONDITIONS
Topography and Natural Drainage	1	The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site. No construction is allowed on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape, and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.
Water Conservation, Rain Water Harvesting, and Ground Water Recharge	2	A complete plan for rain water harvesting, water efficiency and conservation should be prepared. Use of water efficient appliances should be promoted with low flow fixtures or sensors. The local bye-law provisions on rain water harvesting should be followed. If local bye-law provision is not available, adequate provision for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building Bye-laws, 2016. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meters of built up area and storage capacity of minimum one day of total fresh water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority. All recharge should be limited to shallow aquifer
	2(a)	At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as pervious surface.

Waste Management	3	Solid waste: Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Sewage: Onsite sewage treatment of capacity of treating 100% waste water to be installed. Treated waste water shall be reused on site for landscape, flushing, cooling tower, and other end-uses. Excess treated water shall be discharged as per CPCB norms. Natural treatment systems shall be promoted. Sludge from the onsite sewage treatment, including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Central Public Health and Environmental Engineering Organisation (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013. The provisions of the Solid Waste (Management) Rules 2016 and the e-waste (Management) Rules 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules 2016 shall be followed.
	3 (a)	All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie up must be done with the authorized recyclers.
	3(b)	Organic waste compost/ Vermiculture pit with a minimum capacity of 0.3 kg /person/day must be installed.
Energy	4	Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Buildings in the States which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC. Outdoor and common area lighting shall be LED. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
	4 (a)	Solar, wind or other Renewable Energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level/ local building bye-laws requirement, whichever is higher.
	4 (b)	Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.
	4 (c)	Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction material quantity. These include flyash bricks, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum blocks, Compressed earth blocks, and other environment friendly materials. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of the Fly Ash Notification of September, 1999 as amended from time to time.
Air Quality and Noise	5	Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around the site (at least 3 meter height). Plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, murram and other construction materials prone to causing dust pollution at the site as well as taking out debris from the site. Sand, murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting. Unpaved surfaces and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust. All construction and demolition debris shall be stored at the site (and not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules 2016. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with

		dust pollution shall be provided with dust mask. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
	5 (a)	The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the CPCB norms.
Green Cover	6	A minimum of 1 tree for every 80 sq.mt. of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. Preference should be given to planting native species.
	6 (a)	Where the trees need to be cut, compensatory plantation in the ratio of 1:3 (i.e. planting of 3 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained.
Top Soil preservation and reuse	7	Topsoil should be stripped to a depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stockpiled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetation on site.
Transport	8	A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public, and private networks. Road should be designed with due consideration for environment, and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria. 1. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic. 2. Traffic calming measures. 3. Proper design of entry and exit points. 4. Parking norms as per local regulation.

(Category '3': 50000 to 150000 m²)

MEDIUM	S.N.	ENVIRONMENTAL CONDITIONS
Topography and Natural Drainage	1	The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site. No construction is allowed on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape, and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.
Water conservation - Rain Water Harvesting, and Ground Water Recharge	2	A complete plan for rain water harvesting, water efficiency and conservation should be prepared. The local bye-law provisions on rain water harvesting should be followed. If local bye-law provisions are not available, adequate provision for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building Bye-laws, 2016. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meters of built up area and storage capacity of minimum one day of total fresh water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority. All recharge should be limited to shallow aquifer.
	2(a)	At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as pervious surface.
	2 (b)	Use of water efficient appliances should be promoted. Low flow fixtures or sensors be used to promote water conservation.

	2 (c)	Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
Solid Waste Management	3	Solid waste: Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. The provisions of the Solid Waste (Management) Rules 2016 and the e-waste (Management) Rules 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules 2016 shall be followed.
	3 (a)	All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie up must be done with the authorized recyclers.
	3(b)	Organic waste composter/Vermiculture pit with a minimum capacity of 0.3 kg /person/day must be installed.
Sewage Treatment Plant	4	Onsite sewage treatment of capacity of treating 100% waste water to be installed. Treated waste water shall be reused on site for landscape, flushing, cooling tower, and other end-uses. Excess treated water shall be discharged as per CPCB norms. Natural treatment systems shall be promoted. Sludge from the onsite sewage treatment, including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Central Public Health and Environmental Engineering Organisation (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.
Energy	5	Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Buildings in the States which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC. Outdoor and common area lighting shall be LED. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
	5 (a)	Solar, wind or other Renewable Energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level/ local building bye-laws requirement, whichever is higher.
	5 (b)	Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.
	5 (c)	Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction material quantity. These include flyash bricks, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum blocks, Compressed earth blocks, and other environment friendly materials. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of the Fly Ash Notification of September, 1999 as amended from time to time.
Air Quality and Noise	6	Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around the site (at least 3 meter height). Plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, murram and other construction materials prone to causing dust pollution at the site as well as taking out debris from the site. Wheel washing for the vehicles used be done. Sand, murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting. Unpaved surfaces and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust. All construction and demolition debris shall be stored at the site (and not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction

		and Demolition Waste Rules 2016. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
	6 (a)	The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the CPCB norms.
Green Cover	7	A minimum of 1 tree for every 80 sq.mt. of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. Preference should be given to planting native species.
	7 (a)	Where the trees need to be cut, compensatory plantation in the ratio of 1:3 (i.e. planting of 3 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained.
Top Soil Preservation and Reuse	8	Topsoil should be stripped to a depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stockpiled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetation on site.
Transport	9	A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public, and private networks. Road should be designed with due consideration for environment, and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria. 1. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic. 2. Traffic calming measures. 3. Proper design of entry and exit points. 4. Parking norms as per local regulation.
Environment Management Plan	10	An environmental management plan (EMP) shall be prepared and implemented to ensure compliance with the environmental conditions specified in item number 1 to 9 above. A dedicated Environment Monitoring Cell with defined functions and responsibility shall be put in place to implement the EMP. The environmental cell shall ensure that the environment infrastructure like Sewage Treatment Plant, Landscaping, Rain Water Harvesting, Energy efficiency and conservation, water efficiency and conservation, solid waste management, renewable energy etc. are kept operational and meet the required standards. The environmental cell shall also keep the record of environment monitoring and those related to the environment infrastructure.

APPENDIX-XV

Accreditation of Environmental Auditors (Qualified Building Auditors)

The Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), through qualified agencies shall accredit the Qualified Building Environment Auditors (QBEAs). The Qualified Building Environment Auditors could be a firm / organization or an individual expert, who fulfils the requirements. The Ministry will implement this process of accreditation through Quality Council of India (QCI), National Productivity Council or any other organization identified by the Government. The organizations like Indian Green Building Council, Bureau of Energy Efficiency etc. can also be associated in the process of accreditation, training, and renewal. The environmental consultants accredited by the QCI for building sector will be qualified as QBEAs. The QBEAs will meet the following criteria. The accrediting agency can improvise on these criteria.

Qualifications of the Auditor:

- a. Education: Architect (Degree or Diploma), Town Planners (Degree), Civil Engineer / Mechanical Engineer (Degree or Diploma), PG in Environmental Science or any other qualification as per the scheme of the accreditation.

Training:

- b. Mandatory training to be given by the accreditation body or their approved training providers. This will be as per the scheme of the accreditation.

Experience:

- c. At least 3 years of work experience in the related field or building sector Environment Impact Assessment consultants accredited by QCI or any other experience criteria as per the scheme of the accreditation.

Infrastructure and equipment:

- d. As per the scheme of the accreditation

Renewal:

- e. The accreditation will be valid for 5 years and will be renewed as per the process developed under the accreditation scheme.

Accountability/Complaint redressal mechanism: Any complaints regarding the quality of the work of QBEAs shall be made to the accreditation body. The accreditation body shall evaluate the complaint and take appropriate action including black listing or cancellation of the accreditation with wide public notice. This will be in addition to the action at the level of local authority for penalty and blacklisting. The Ministry can also take such action in case of specific complaint or feedback.

APPENDIX-XVI**Environmental Cell at the level of Local Authority:**

An Environmental Cell shall be setup at the local authority level to support compliance and monitoring of environmental conditions in buildings. The Cell shall also provide assistance in environmental planning and capacity building within their jurisdiction. The responsibility of this cell would be monitoring the implementation of this notification and providing an oversight to the Third-Party Auditing process. The cell will operate under the local authority.

Constitution of the cell:

The cell will comprise of at least 3 dedicated experts in following fields:

- a. Waste management (solid and liquid)
- b. Water conservation and management
- c. Resource efficiency including Building materials
- d. Energy Efficiency and renewable energy
- e. Environmental planning including air quality management.
- f. Transport planning and management.

The Cell shall induct at least two outside experts as per the requirements and background of dedicated experts. Existing environmental cells at the level of local authority can be co-opted and trained for this Cell.

Financial Support:

An additional fee may be charged along with processing fee for building permission for integrating environmental conditions and it's monitoring. The local authority can fix and revise this additional fee from time to time. The amount of this fee shall be deposited in a separate bank account, and used for meeting the requirement of salary / emoluments of experts and running the system of online application, verifications and the Environmental Cell.

Functions of the Cell:

1. The cell shall be responsible for assessing and appraising the environmental concerns of the area under their jurisdiction where building activities are proposed. The Cell can evolve and propose additional environmental conditions as per requirements. These conditions may be area specific and shall be notified in advance from time to time. These additional conditions shall be approved following a due consultation process. These environmental conditions will be integrated in building permissions by the sanctioning authority.
2. Develop and maintain an online system for application and payment of fees. The Cell shall maintain an online database of all applications received, projects approved, the compliance audit report, random inspections made. The Cell shall maintain a portal for public disclosure of project details including self certification and compliance audit reports filed by the Qualified Building Environment Auditors for public scrutiny of compliance of environmental conditions by the project.
3. Monitoring the work of Environmental Audit process carried by the Qualified Building Auditors.

4. The Cell shall review the applications; finalize the additional environmental conditions if required within 30 days of the submission of the application to the local authority.
5. The Cell shall adopt risk based random selection of projects for verifying on site for certification of QBA, compliance of environmental conditions and five yearly audit report.
6. The Cell shall recommend to the local authority for financial penalty for non-compliance of environmental conditions by the project proponent.
7. The Cell shall recommend to the accrediting body and the local authority against any Qualified Building Environment Auditor, if any lapse is found in their work.